आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपील वाद सं0–214/2014

प्रमोद कुमार सिन्हा

बनाम

जिला पदाधिकारी, सीवान

आदेश

25.4.15 यह अपील वाद जिला पदाधिकारी, सीवान के आदेश ज्ञापांक 661/स्था0 दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध दायर की गई है।

संक्षेप में अपीलार्थी का मामला यह है कि अपीलार्थी प्रमोद कुमार सिन्हा, आशुलिपिक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, महाराजगंज के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, सीवान के पत्रांक 172–11/अभि0 दिनांक 29.11.2011 द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं प्रभार नही देकर तथा गोपनीय शाखा को बन्द रखकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप में श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। उसी क्रम में जिला पदाधिकारी, सीवान के आदेश ज्ञापांक 1786/स्था0 दिनांक 26.12.2012 द्वारा श्री कमलाकान्त, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच सीवान को संचालन पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महाराजगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्देश दिया गया। संचालन पदाधिकारी, सीवान द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर उससे संबंधित जांच प्रतिवेदन पत्रांक 328/वि0 जांच दिनांक 11.12.2013 द्वारा समर्पित किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध आदेश अवहेलना, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता मिथ्यावादिता, कर्त्तव्यहीनता, insubordination एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी, कार्य के प्रति निष्ठाहीनता प्रमाणित पाया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया कि आरोपी कर्मी को पर्याप्त अवसर अपना पक्ष साक्ष्य सहित रखने का दिया गया परन्तु उनके द्वारा सिर्फ पत्राचार कर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने के नाम पर सुनवाई हेतु निर्धारित कई तिथियों को अनुपस्थित रह कर असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया। अनुशासनिक प्राधिकार यथा जिला पदाधिकारी, सीवान विभागीय संचालन पदाधिकारी के उक्त निष्कर्ष के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 1788/स्था0 दिनांक 13.12.2013 द्वारा आरोपी कर्मी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। आरोपी कर्मी द्वारा डाक से भेजा गया स्पष्टीकरण दिनांक 08.01.2014 को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(ii) में निहित शक्तियों के आलोक में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। उक्त बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपीलवाद दाखिल किया गया है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के प्रारंभ में ही अपीलकर्त्ता के सेवा इतिहास, वर्षवार गोपनीय अभ्युक्ति का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि अपीलार्थी की सेवाऐं उसके अनुशासनप्रयिता, सत्यवादिता, कर्त्तव्यनिष्ठा, विश्वसनीयता पदाधिकारियों की आज्ञाकारिता, सचरित्रता, कर्मठता, दक्षता एवं कार्य संपादन में ईमानदारी पूर्वक निर्वहनता का द्योतक है जो कि इस सरकारी सेवक के 27–28 वर्षो के सरकारी सेवा में उपलब्ध हुआ है। आरोपों के संदर्भ में उनका आगे कहना है कि जहाँ तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का प्रश्न है तो यह आरोप तथ्यहीन है क्योंकि आवेदक की पत्नी के अचानक बीमार पड़ने के कारण आवेदक द्वारा छुट्टी का आवेदन देकर प्रस्थान किया गया तथा बाद की तिथियों में छुटी बढ़ाने संबंधी आवेदन डाक द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। कालान्तर में कार्यालय द्वारा उक्त अवधि के अवकाश को स्वीकृत कर वेतन भुगतान भी किया गया है। जहाँ तक अन्य आरोप का प्रश्न है तो उसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि आरोपी कर्मी द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के संबंध में इन्कार करते हुए समुचित साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, तथापि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष देने के क्रम में उपलब्ध सारे नियमों एवं कानूनो